बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–800 014

शुद्धिकरण

लोक निजी साझेदारी के तहत् क्लीनिक/एन०जी०ओ०/ फर्म द्वारा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन के लिए निविदा हेतु आमंत्रण।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 14.06.10 को समाचार पत्र- (1) टाईम्स ऑफ इंडिया, (बिहार) (2) हिन्दुस्तान (बिहार) (3) दैनिक जागरण (बिहार) (4) फारूकी तन्जीम (उर्दू) (बिहार) में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई थी।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रकाशित आमंत्रण सुचना के अनुसार दिनांक 21.06.10 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में **"प्री-बीड"** बैठक सम्पन्न हुई, कि निर्णय के आलोक में प्रकाशित निविदा में निर्धारित शर्तो के अलावा, नीचे दिये गये शर्तो का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाया :-

1. सभी संस्थानों (क्लीनिक/एन०जी०ओ०/फर्म) द्वारा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन के लिए डॉक्टर, नर्स एवं अन्य सामग्री के साथ सम्पूर्ण व्यवस्था संस्थान को करना होगा।
2. सभी निविदादाता से अनुरोध है कि निविदा से संबंधित मॉग की गई शर्तो के अनुसार सभी दस्तावेज, एवं प्रत्येक पृष्ट पर क्रमांक संख्या/हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है। प्राप्त निविदा दस्तावेज में कमी पाये जाने पर इसके लिए कोई समय का विस्तार नही किया जायेगा, और न ही कोई सूचना दी जायेगी तथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
3. मकान/संरचित स्थान Notified (Urban) area/ Municipal area/ward में हो, जो शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के लायक हो।
4. मरीज के उपचार के लिए दो कमरा एवं बैठने के लिए व्यवस्थित स्थान, शौचालय, पेयजल/चापाकल, बिजली, यातायात की सुविधा इत्यादि होना आवश्यक है।
5. मकान में महिला रोगी के लिए उपर्युक्त एवं अलग व्यवस्था, पुरूष एवं महिला के लिए साफ-सुथरा अलग-अलग शौचालय एवं रोगियों को बैठने /प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
6. मकान मलिन बस्ती (Slum Area)के नजदीक हो एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो।
7. मकान सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से दूरी पर होना चाहिए एवं **किलोमीटर का उल्लेख आवेदन में करना अनिवार्य है।**
8. अगर एक ही क्षेत्र में एक से अधिक मकान को चयन किया जाता है, तो शहरी स्वास्थ्य के लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से अधिक दूरी वाला मकान को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. लिफाफे के उपर निविदा का विषय, पूर्ण पता एवम् दूरभाष संख्या अवश्य अंकित करें।
10. वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 का Audit Report जमा किया जाना है, Charted Accountant द्वारा निर्मित Audit Certificate मान्य नही होगा। Audit Report सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ Audit Statement के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
11. एजेंसी द्वारा जिस मकान में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित की जायेगी, उस मकान की नगर निगम का अद्यतन रसीद होना अनिवार्य है, तथा **रसीद को आवेदन में अवश्य संलग्न करें।**
12. यदि शहरी स्वास्थ्य केन्द संचालन के लिए मकान को किराया पर लिया **जाता है तो उस मकान और एजेंसी के बीच हुये एकरारनामा का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।** मकान किराये पर प्रकाशित निविदा के एकरारनामा अवधि के अनुसार होना आवश्यक है।

(विस्तृत जानकारी के लिए **www.statehealthsocietybihar.org**)

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निबंधित डाक /स्पीड पोस्ट द्वारा **कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14** दिनांक **05.07.10** को **5.00** बजे (अपराह्न) तक कार्यालय पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

निविदा पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का निर्णय अंतिम होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कार्यपालक निदेशक